विज्ञापन
बिहार विधान परिषद् सचिवालय
पटना – 800015

(1) विज्ञापन सं.- 01/2016 - बिहार विधान परिषद् सचिवालय में द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के निम्न रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु भारत के नागरिक सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। यह नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी होगी और बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की जा सकती है। केन्द्र/राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को आवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी से अग्रसारित कराकर देना होगा। विज्ञापित पदों की संख्या बिना पूर्व सूचना के आवश्यकतानुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

(2) रिक्ति:

क्र.	पदनाम	श्रेणी	वेतनमान्	रिक्ति	अर्हता/शैक्षणिक योग्यता
1.	**प्रतिवेदक**	द्वितीय (राजपत्रित)	पी.बी.-2, 9300-34800, ग्रेड वेतन 4800	15	1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त। 2) हिन्दी श्रुतिलेखन - 150 से 180 शब्द प्रति मिनट की क्षमता, साथ-साथ अंग्रेजी श्रुति लेखन का ज्ञान। 3) टंकण/कम्प्यूटर में 45 से 55 शब्द प्रति मिनट अनिवार्य। 4) कम्प्यूटर कोर्स में सर्टिफिकेट योग्यताधारी एवं आवश्यक ज्ञान अनिवार्य।
2.	**निजी सहायक**	तृतीय	पी.बी.-2, 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600	07	1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री प्राप्त। 2) हिन्दी श्रुतिलेखन - 80 शब्द प्रति मिनट की क्षमता, साथ-साथ अंग्रेजी श्रुतिलेखन का ज्ञान। 3) टंकण/कम्प्यूटर में 30 शब्द प्रति मिनट अनिवार्य। 4) कम्प्यूटर कोर्स में सर्टिफिकेट योग्यताधारी एवं आवश्यक ज्ञान अनिवार्य।
3.	**अनुसंधान सहायक**	तृतीय	पी.बी.-2, 9300-34800, ग्रेड वेतन 4200	03	1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री प्राप्त। 2) लाईब्रेरी साईन्स में डिग्री।

4.	**पुस्तकाध्यक्ष**	तृतीय	पी.बी.-2, 9300-34800, ग्रेड वेतन 4200	01	1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री प्राप्त। 2) लाईब्रेरी साईन्स में डिग्री।
5.	**सहायक पुस्तकाध्यक्ष**	तृतीय	पी.बी.-2, 9300-34800, ग्रेड वेतन 4200	01	1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री प्राप्त। 2) लाईब्रेरी साईन्स में डिग्री।
6.	**कैटलौगर**	तृतीय	पी.बी.-2, 9300-34800, ग्रेड वेतन 4200	01	1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री प्राप्त। 2) लाईब्रेरी साईन्स में डिग्री।

(3) आरक्षण कोटि के अनुसार पदों का विवरण :-

क्र.	**पदनाम**	**कुल रिक्ति**	**अनारक्षित**	**अनारक्षित (महिला)**	**अत्यंत पिछड़ा वर्ग**	**अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)**	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जाति (महिला)**	**पिछड़ा वर्ग**	**पिछड़ा वर्ग (महिला)**	**अनुसूचित जनजाति**
1.	**प्रतिवेदक**	**15**	05	03	02	01	01	01	01	01	0
2.	**निजी सहायक**	**07**	03	01	01	0	01	0	01	0	0
3.	**अनुसंधान सहायक**	**03**	01	01	01	0	0	0	0	0	0

(4) उम्र सीमा :-

(क) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक सं.- 11/आ.-विविध-05/2013 सा.प्र.- 294, दिनांक 07.01.2016 तदनुसार परिषद् सचिवालय के ज्ञापांक सं.- वि.प.स्था.-46/2015(नी.वि.)-1002(2)वि.प., दिनांक 12.05.2016 के आलोक में सीधी भर्त्ती के लिए आरक्षण कोटिवार अधिकतम आयुसीमा का निर्धारण निम्नानुसार है -

1. **अनारक्षित वर्ग (पुरूष) - 37 वर्ष**
2. **पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) - 40 वर्ष**
3. **अनारक्षित वर्ग (महिला) - 40 वर्ष**
4. **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)- 42 वर्ष**

(ख) दिनांक 01.07.2016 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं प्रावधानित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए।

(ग) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक 16.07.2007 के आलोक में, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान् की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट अनुमान्य है। आयु सीमा में छूट इस शर्त के अध्यधीन होगी कि वह कर्मचारी अपने अन्तिम चयन तक नियमित रोजगार में रहे।

(घ) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में दिव्यांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(ङ) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्त्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(च) कोई भी अभ्यर्थी जातिगत आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ पाने का हकदार तभी होगा, यदि वह जाति/जनजाति विशेष, जिससे वह अभ्यर्थी संबधित है, आरक्षण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी इन जातियों की सूची में सम्मिलित हो।

(5) आरक्षण :-

(क) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं.-673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण सहित जाति प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

(ख) दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी सिविल सर्जन द्वारा उनके कार्यालय से निर्गत नि:शक्तता प्रतिशत प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा आरक्षण संबंधी समय-समय पर निर्गत अधिनियमों/ नियमों/ परिपत्रों में किये गये प्रावधानों का पूर्णत: पालन किया जाएगा।

(घ) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(6) परिवीक्षा अवधि: नियुक्ति हेतु चुने गए अभ्यर्थी दो वर्षों की आरम्भिक अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। नियमानुसार परिवीक्षा की अवधि घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

(7) परीक्षा का माध्यम : लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, श्रुतिलेखन, टंकण एवं साक्षात्कार का माध्यम हिन्दी होगा। आशुलिपि (अंग्रेजी) एवं टंकण (अंग्रेजी) का ज्ञान अनिवार्य होगा।

(8) परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम : प्रतिवेदक, निजी सहायक, अनुसंधान सहायक, पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं कैटलौगर के पदों के लिए समिति निम्नवत् परीक्षा योजना हेतु अनुशंसा करती है-

(क) चयन प्रक्रिया में तीन विभिन्न चरण होंगे -

i. **लिखित प्रतियोगिता परीक्षा -** प्रतिवेदक, निजी सहायक, अनुसंधान सहायक, पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं कैटलौगर के पदों हेतु ।

ii. **आशुलिपि (हिन्दी एवं अंग्रेजी) तथा टंकण (हिन्दी एवं अंग्रेजी) -** केवल प्रतिवेदक एवं निजी सहायक के पदों हेतु।

iii. **साक्षात्कार -** प्रतिवेदक, निजी सहायक, अनुसंधान सहायक, पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं कैटलौगर के पदों हेतु ।

(ख) सचिवालय के किसी भी पद के लिए परीक्षा के किन्हीं चरणों/प्रश्न-पत्रों के लिए न्यूनतम अर्हत अंक प्रतिशत विहित करने तथा पहले ही विहित किए जा चुके न्यूनतम अर्हत अंक प्रतिशत को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

(ग) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की समयावधि - 02 घंटे की अवधि वाला 100 अंकों का प्रश्न-पत्र होगा।

(घ) इस परीक्षा में बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे । निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

(ङ) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम् अर्हत अंक प्रतिशत से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(च) प्रतिवेदक एवं निजी सहायक के पदों हेतु लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही श्रुतिलेखन एवं टंकण परीक्षा हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी।

(छ) प्रतिवेदक एवं निजी सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु अंतिम मेधा सूची तैयार करने में उम्मीदवार द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(ज) अनुसंधान सहायक, पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं कैटलौगर के पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही साक्षात्कार हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी।

(झ) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न-पत्र में तार्किक क्षमता, सामान्य ज्ञान, सम-सामयिक, संसदीय/विधायी प्रणाली तथा विधायिका, बिहार राज्य से संबंधित एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पूछे जाएंगे।

(ञ) तकनीकी कौशल परीक्षण हेतु प्रतिवेदक एवं निजी सहायक के पदों के लिए श्रुतिलेखन एवं टंकण (साधारण टंकण मशीन द्वारा) का अंक निम्नवत् होगा-

परीक्षा	प्रतिवेदक	निजी सहायक	अंक
श्रुतिलेखन (हिन्दी)	150 से 180 शब्द प्रति मिनट (हिन्दी)	80 से 100 शब्द प्रति मिनट (हिन्दी)	40
टंकण (हिन्दी और अंग्रेजी)	45 से 55 शब्द प्रति मिनट (हिन्दी और अंग्रेजी)	30 से 40 शब्द प्रति मिनट (हिन्दी और अंग्रेजी)	40

(ट) **प्रतिवेदक के पद हेतु** श्रुतिलेखन (हिन्दी और अंग्रेजी) की परीक्षा 05 मिनट में 150 से 180 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 से 900 शब्दों की होगी तथा आशुलिपि का अनुवाद टंकण यंत्र पर टंकित करने हेतु 25 मिनट की टंकण परीक्षा होगी। इस 25 मिनट में श्रुतिलेख नोट को पढ़ने का भी समय सम्मिलित है। श्रुतिलेखन परीक्षा की शुद्धता के आधार पर ही साक्षात्कार हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। परन्तु टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(ठ) **निजी सहायक के पद हेतु** श्रुतिलेखन (हिन्दी और अंग्रेजी) की परीक्षा 05 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 400 शब्दों की होगी तथा आशुलिपि का अनुवाद टंकण यंत्र पर टंकित करना होगा। श्रुति लेखन परीक्षा की शुद्धता के आधार पर ही साक्षात्कार हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। परन्तु टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(ड) **प्रतिवेदक एवं निजी सहायक के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु** निर्धारित मापदंड के अनुसार श्रुतिलेखन में हुई गलतियों में नियमानुसार 10 (दस) प्रतिशत छूट अनुमान्य है। टंकण में भी हुई गलतियों में 1.5 (डेढ़) प्रतिशत छूट अनुमान्य है।

(ढ) उक्त टंकण जांच परीक्षा साधारण टंकण यंत्र पर ही ली जाएगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को हिन्दी और अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु टंकण यंत्र स्वयं लाना होगा। कम्प्यूटर का आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य होगा।

(ण) **साक्षात्कार** - प्रतिवेदक एवं निजी सहायक के पदों हेतु चयन प्रक्रिया के अगले चरण, साक्षात्कार में भाग लेने के लिए केवल वे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे जो अनुमोदित मानदंडों के अनुरूप श्रुतिलेखन एवं टंकण परीक्षा में सफल होंगे। शेष पदों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर साक्षात्कार हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी।

(त) **साक्षात्कार** कुल 20 (बीस) अंकों का होगा।

(थ) प्रतिवेदक एवं निजी सहायक के पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा श्रुतिलेखन एवं टंकण (80 अंक) तथा साक्षात्कार (20 अंक) में कुल प्राप्तांकों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आरक्षण नियमों के आलोक में अंतिम योग्यता मेधा सूची तैयार की जाएगी। शेष पदों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा (100 अंक) तथा साक्षात्कार (20 अंक) में कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम योग्यता मेधा सूची तैयार की जाएगी।

(9) आवेदन पत्र एवं प्रवेश-पत्रक :-

(क) आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्रक के लिए क्रमश: निर्धारित प्रपत्र 1 एवं 2 को ए-4 साईज के कागज पर बिहार विधान परिषद् के वेबसाईट www.biharvidhanparishad.gov.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें।

(ख) आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों पर ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। प्रवेश-पत्रक दो प्रतियों में स्वीकार किये जायेंगे। **निर्धारित प्रपत्र से अलग आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

(ग) **आवेदन प्रपत्र स्वयं हस्तलेख में भरा जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र-1 एवं प्रवेश पत्रक के लिए निर्धारित प्रपत्र-2 के साथ बिहार विधान परिषद् के वेबसाईट पर उपलब्ध है।**

(घ) आवेदन के साथ जन्म तिथि प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, अंक प्रमाण-पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र (अगर लागू हो) आदि सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(10) आवेदन प्रत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा **सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना - 800015** के पदनाम से दिनांक 25.01.2017 को अपराह्न 6:00 बजे तक निश्चित रूप से पहुंच जाना चाहिए। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद एवं कोटि का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

(11) सामान्य अनुदेश :

(क) अभ्यर्थियों को अंतिम तारीख की प्रतीक्षा किए बिना पर्याप्त समय रहते आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

(ख) परीक्षा के लिए आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे विज्ञापन में उल्लिखित अर्हता की सभी शर्त्तें पूरी करते हैं।

(ग) आवेदकों के लिए एक वैध निजी ई-मेल आईडी आवश्यक है और इसे कम से कम भर्त्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए।

(घ) आवेदकों के लिए आवेदन प्रपत्र में एक मोबाईल नम्बर का उल्लेख करना आवश्यक है।

(ङ) आवेदकों को बिहार विधान परिषद् की वेब-साईट नियमित रूप से अवश्य देखना चाहिए। भर्त्ती से संबंधित सभी सूचनाएं वेब-साईट पर उपलब्ध रहेंगी। वेब-साईट पर दी गयी जानकारी अभ्यर्थी को सूचना के रूप में मानी जाएगी।

(च) अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित, विहित प्रपत्र से भिन्न, वांछित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति के बिना, स्व-हस्ताक्षरित फोटो के बिना तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

(छ) यदि डाक सेवा में विलंब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन बिहार विधान परिषद् सचिवालय में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। बिना हस्ताक्षरयुक्त आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ज) प्रत्येक उम्मीदवार से एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन भरा जाना अनिवार्य है। एक प्रपत्र में एक से अधिक पद के लिए आवेदन अथवा एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

(झ) बिहार विधान परिषद् सचिवालय में प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित पूर्व के विज्ञापन को निरस्त समझा जाय। पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन पत्र भेजा गया है, उन्हें भी वर्तमान विज्ञापन के आलोक में विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र देना आवश्यक होगा।

(ञ) बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या इसका कोई कारण बताए बिना, किसी एक या सभी पदों के लिए पूरी भर्त्ती प्रकिया या किसी चरण/प्रश्न पत्र को रद्द करने का अधिकार है।

ह./-

सुनील कुमार पंवार

सचिव